81C

शहरी विकास विभाग
9वॉं तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 88

दिनांक :– 09/08/2017

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री प्रवीण कुमार

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि 100 क्वार्टर बस्ती, फिरोजशाह कोटला में बसे हुए दलितों को जो प्रायः नगर निगम कर्मचारी हैं, उन्हें क्वार्टर एलॉट किए गए हैं।	**उत्तरः– दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** कथित क्वांटरों का आबंटन ब्रिटिश शासन काल में किये जाने एवं दिल्ली म्यूंसीपल कमेटी के आधीन 1958 में आने का उल्लेख है परन्तु इससे संबंधित कोई दस्तावेज मध्य क्षेत्र, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में उपलब्ध नहीं है। **उत्तरः– उत्तरी दिल्ली नगर निगम** यह प्रशन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित है।
(ख) यदि हॉ तो हर घर से कितना किराया लिया जाता है।	**उत्तरः– दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों से स्टैंडर्ड लाइसेंसिग फीस (SLF) वसूल की जाती है। **उत्तरः– उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त 'क' के अनुसार ।
(ग) क्या सरकार की करोल बाग क्षेत्र में मालिकाना हक देने की तर्ज पर 100 क्वार्टर में बसे हुए लोगों को मालिकाना हक देने की की क्या योजना है।	**उत्तरः– दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** दक्षिणी दिल्ली नगर के मध्य क्षेत्र में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। **उत्तरः– उत्तरी दिल्ली नगर निगम** यह प्रश्न दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित है। करोल बाग क्षेत्र में निगम कर्मचारियों को किसी आवास का मालिकाना हक नहीं दिया गया है।
(घ) इस आवासीय क्षेत्र की देख रेख कर रहे सम्बन्धित अधिकारियों के कान्टेक्ट डिटेल्स क्या हैं ?	**उत्तरः– दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** इस आवासीय क्षेत्र के अन्दर की गलियों का रख–रखाव अधिशासी अभियन्ता–1, मध्य क्षेत्र के द्वारा किया जाता है हांलांकि कथित क्वांटरों की देख–रेख व रख–रखाव का कार्य अधिशासी अभियन्ता–1, मध्य क्षेत्र के द्वारा नहीं किया जाता है। संपर्क सूत्रः– श्री दीपक खोसला, अधि0अभि0 (मेन्टेन्स–I) कार्यालय पताः– गोला गुम्बद, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली, दूरभाष न0:– 9717787897, 24335555 **उत्तरः– उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त 'क' के अनुसार ।